झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

201

संकल्प

विषय :- त्रिस्तरीय पंचायतों को उद्योग विभाग के कार्यों के संदर्भ में शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।

संविधान के अनुच्छेद की धारा-243 (जी0) की शर्त्तों के अनुसार 11वीं अनुसूची में सूचीवद्ध 29 विषयों पर पंचायतों की शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने में सक्षम हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय हेतु योजनाओं को तैयार करने, लागू करने, अनुश्रवण करने की शक्ति प्रदान करे। इसी क्रम में झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम-2001 की धारा-75,76 तथा 77 में क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अधिकार प्रदान किये गये हैं। इन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए उद्योग विभाग के द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना आवश्यक किया गया है।

उक्त के क्रम में उद्योग विभाग का मुख्य उद्देश्य वर्त्तमान झारखण्ड औद्योगिक नीति-2012 एवं समय-समय पर अधिसूचित राज्य/केन्द्र की नीतियाँ जो औद्योगीकरण के क्रम में लागू होंगी, के आलोक में राज्य में उद्योगों का विकास करना है तथा सूक्ष्म तथा लघु उद्योगों को गाँव तक ले जाने का विशेष प्रयास किया जाना है ताकि गाँवों एवं प्रखण्डों का सर्वांगीण विकास हो सके। वर्त्तमान में उक्त संवैधानिक प्रावधानों के क्रम में निदेशित उद्देश्यों के पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों के सम्पादन में त्रिस्तरीय पंचायतों की भागीदारी हेतु उद्योग विभाग द्वारा निम्नांकित शक्तियों को परामर्शी परिषद की दिनांक 21.06.13 की बैठक में मद सं0-1, विभागीय संलेख ज्ञापांक- 1056 दिनांक 07.06.13 के क्रम में प्रत्यायोजित किया जाता है।

कार्य (Functions)

ग्राम पंचायत	1. Entrepreneurship Development Programme (EDP)/ Skill Development Programme (SDP)/ Entrepreneurship cum Skill Development Programme (ESDP) or Vocational Training (VT) आदि योजनाओं में लाभार्वितों की सूची को ग्राम पंचायत के अवलोकनार्थ रखी जा सकेगी। 2. उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना में संबंधित पंचायतों का सहयोग अपेक्षित होगा। 3. स्थानीय उद्योगों में नियोजन हेतु प्रशिक्षुओं के चयन में ग्राम पंचायत सहयोग प्रदान करेगी। 4. खादी एवं ग्रामोंद्योग की योजनाओं में हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर की जायेगी। 5. रेशम के विकास के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर चयनित लाभुकों की सूची रखी जायेगी। 6. ग्राम पंचायत सामान्य सुलभ केन्द्रों के लाभूकों के चयन में सहायता प्रदान करेगी। 7. परंपरागत कुशल कारीगरों की पहचान कर उसके अनुरूप घरेलू उद्योगों के विकास की समेकित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी। 8. रेशम, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान करेगी।

	9. कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के चयन में सहयोग करेगी।
पंचायत समिति	1. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में लघु उद्योग के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग करेगी 2. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में अग्र परियोजना केन्द्रों, खादी एवं ग्रामोउद्योग केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी।
जिला परिषद	1. जिला परिषद PMEGP/ प्रधानमंत्री रोजगार योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी। 2. स्थानीय क्षमता (Identification of traditional skill) का आकलन, MSE उद्योग का विकास में जिला परिषद जिला उद्योग केन्द्र को दिशा-निर्देश देगा। 3. जिला परिषद रेशम के विकास योजना खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं, हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र का योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी।

5. कर्मी (**Functionaries**)

	1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला परिषद की सभी होनेवाली बैठकों में भाग लेंगे। सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि के जानकारी देंगे। 2. सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिला परिषद की बैठक में भाग लेंगे। 3. सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/ अनुदान/ लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 4. हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला परिषद की सभी बैठकों में भाग लेंगे। 5. हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/ लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 6. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, पंचायत समिति की सभी बैठकों में भाग लेंगे। 7. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे। 8. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान भी संबंधित जिला के जिला परिषद की बैठक में भाग लेंगे। 9. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान संस्थान के क्रिया-कलाप की जानकारी देंगे। 10. जिला स्तर पर क्रियान्वित की जानेवाली वार्षिक योजनाओं की प्रगति के प्रतिवेदन का अनुश्रवण जिला परिषद की बैठकों में की जायेगी।

यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी सबंधितों को सूचनार्थ भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक...../राँची, दिनांक...../

02/उ0वि0 (विविध) बैठक–08/13

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित करने एवं उसके 100 प्रतियाँ इस विभाग को प्रेषित करने हेतु अग्रसारित।

ह0/–

सरकार के सचिव

ज्ञापांक.....1307...../राँची, दिनांक.....11-07-2013...../

02/उ0वि0 (विविध) बैठक–08/13

प्रतिलिपि :– झारखण्ड राज्य के माननीय राज्यपाल जी के प्रधान सचिव/ प्रभारी परामर्शी, उद्योग विभाग, झारखण्ड/मुख्य सचिव, झारखण्ड/विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव एवं विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/ निदेशक उद्योग/निदेशक हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/ सभी अग्रपरियोजना केन्द्र, झारखण्ड/ प्रबंध निदेशक, आयडा/बियाडा/रियाडा/स्पियाडा/ प्राचार्य, मिनी टूलरूम, राँची/दुमका/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग पर्षद/ सभी अवर सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/07/13

सरकार के सचिव